ऑन लाईन नं.RCMS2023/91

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 42/2023

श्री,विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी, निवासी 5, पूजा कॉलोनी, गली नम्बर 02, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर। **–खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक–**
   मै0 रूद्रा, कामेर्टिंग, जे–6, बड़ा बाजार, गेट नम्बर 05, श्रीगंगानगर।
2. श्री मनोज अग्रवाल, **–मालिक–**
   मैसर्स :– ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबू रोड़, सिरोही–307026

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/51 व 58

निर्णय **दिनांक : 12.06.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.06.2022 को दोपहर पूर्व 11.50 ए.एम पर **मै0** रूद्रा, कामेर्टिंग, जे–6, बड़ा बाजार, गेट नम्बर 05, श्रीगंगानगर पर पहुचें। वहा श्री गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी, निवासी 5, पूजा कॉलोनी, गली नम्बर 02, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य लाईसैंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्वयं व गवाह के आधार कार्ड तथा आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विकय हेतु उपलब्ध **Ghee (Oriya) Cow** के विभिन्न पैकिंग साईजों के कुल 281 नग (100 एमएल, 200 एमएल, 500 एमएल , 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तथा 15 किलोग्राम टीन) रखे है के अमानक का शक होने पर 1 लीटर के 4 जार **Ghee (Oriya) Cow** खाद्यकारोबारकर्ता श्री गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी को 1444/– रूपये नगद देकर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/91

रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Ghee (Oriya) Cow** 1 लीटर के 4 जारों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुकमांक **K-1520** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुकमांक **K-1520** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल बंसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:–एलएस/729/एक्ट/2022/729 दिनांक 24.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1520 Ghee (Oriya) Cow अमानक स्तर** Sub-Standard Food & contravenes of Regulation होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार जी द्वारा अमानक स्तर **Ghee (Oriya) Cow** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 व 58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/91

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार मैसर्स रूद्रा मार्केटिंग, जे–6 बड़ा बाजार गेट नम्बर 05, श्रीगंगानगर को आपके विभाग द्वारा नोटिस कमांकः–रीडर/23/580 दिनांक 06.04.2023 दिया गया है, जिसमें प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 430–32 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर खाद्य कारोबारकर्ता नमूना जांच विकया गया खाद्य पदार्थ घी ओरिया गांय का नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेंस ऑफ रेगुलेशन होना बताया। वैल्यू 25.50 होना बताया गया है जबकि मिनियम 26.00 होना पाया जाना चाहिए। नाम मात्र की कमी दर्शायी गई है। प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी से घी कय किया जाता है और कम्पनी को इस कमी से अवगत करवाया गया है और कम्पनी द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। प्रार्थी इस कमी का अपना जुर्म स्वीकार करता है इसलिए न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा, प्रार्थी उसका सम्मान करेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी को क्षमा करने की कृपा करें।

अभियुक्त अप्रार्थी संख्या दो ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मनोज अग्रवाल (मालिक) ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़ जिला सिरोही को आपके विभाग द्वारा नोटिस कमांकः–रीडर/23/581 दिनांक 06.04.2023 दिया गया है, । प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 430–32 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर खाद्य कारोबारकर्ता नमूना जांच विकया गया खाद्य पदार्थ घी ओरिया गांय का नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेंस ऑफ रेगुलेशन होना बताया। वैल्यू 25.50 होना बताया गया है जबकि मिनियम 26.00 होना पाया जाना चाहिए। नाम मात्र की कमी दर्शायी गई है। प्रार्थी द्वारा ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। प्रार्थी इस कमी का अपना जुर्म स्वीकार करता है इसलिए न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा, प्रार्थी उसका सम्मान करेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी को क्षमा करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Ghee (Oriya) Cow)** का सैम्पल **के–1520** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/729/एक्ट/2022/ 729 दिनांक 24.06.2022 द्वारा Sub-Standard Food & contravenes of Regulation होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 व 58 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 में वर्णित है तथा धारा 51 व 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गितेश मिगलानी पुत्र श्री कृष्णअवतार मैसर्स रूद्रा मार्केटिंग, जे–6 बड़ा बाजार गेट नम्बर 05, श्रीगंगानगर को आपके विभाग द्वारा नोटिस कमांकः–रीडर/23/580 दिनांक 06.04.2023 दिया गया है, जिसमें प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 430–32 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर खाद्य कारोबारकर्ता नमूना जांच विकया गया खाद्य पदार्थ घी ओरिया गांय का नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेंस ऑफ रेगुलेशन होना बताया। वैल्यू 25.50 होना बताया गया है जबकि मिनियम 26.00 होना पाया जाना चाहिए। नाम मात्र की कमी दर्शायी गई है। प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी से घी कय किया जाता है और कम्पनी को इस कमी से अवगत करवाया गया है और कम्पनी द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। प्रार्थी इस कमी का अपना जुर्म स्वीकार करता है इसलिए न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा, प्रार्थी उसका सम्मान करेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी को क्षमा करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Ghee (Oriya) Cow** " bearing Code No. and Sr. No. K-1520 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Sub-standard** Food as it does not Conform to the Prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addiative) Regulation, 2011 and it is not derived exclusively from milk or lproducts obtained from milk as it contains foreign fat (fatty acid parofile of sample does lnot lmatch with the fatty acid profile of ghee.) The sample also contravenes Regulation lNo. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 7,000–00 (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Ghee (Oriya) Cow** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Ghee (Oriya) Cow** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर